संख्या-ए-11013/25/98-ए.टी.

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली,

दिनांक नवम्बर 16, 1998

कार्यालय ज्ञापन

विषय : विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के उपबंधों को चुनौती देने तथा इससे संबंधित मामलों की सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग को देने के संबंध में ।

जैसा कि दूर-संचार विभाग आदि को विदित है कि सरकारी कर्मचारी सेवा संबंधी मामले विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों में दायर करते हैं, जिन में अन्य बातों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के उपबंधों को चुनौती देने वाले तथा/अथवा उनसे संबंधित मामले भी होते हैं, जैसे कि—अतिरिक्त न्यायपीठों की स्थापना तथा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 आदि के अंतर्गत स्थापित विभिन्न अधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना । प्रायः इन मामलों के संबंध में ऐसे न्यायालय/अधिकरणों द्वारा निदेश पारित किए जाते हैं । चूँकि यह विभाग प्रशासनिक अधिनियम, 1985 के प्रशासन हेतु नोडल मंत्रालय है, अतः इस विभाग के निदेशों के बिना भारत सरकार का कोई अन्य मंत्रालय ऐसे निदेशों पर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है ।

2. इस विभाग की जानकारी में यह बात आयी है कि ऐसे कुछ मामलों में जहां अन्य मंत्रालय/विभाग संघ भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा पारित ऐसे आदेशों का प्रभाव उपर्युक्त पहलुओं पर पड़ता है, इन आदेशों को इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया जाता है जिसके फलस्वरूप, ऐसे आदेश एक लम्बे समय तक क्रियान्वित नहीं हो पाते अथवा जब तक कि ये निदेश कतिपय अन्य स्रोतों के माध्यम से इस विभाग की जानकारी में नहीं लाए जाते । न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में इस प्रकार के अनजाने में हुए विलंब से कभी-कभी न्यायालय/अधिकरण प्रतिकूल टिप्पणी देते हैं । यदि ऐसे निर्देशों की सूचना (भारत-सरकारी की ओर से) वादकारी विभाग, इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र दे दें तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है ।

3. अतः मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के विशिष्ट उपबंधों के क्रियान्वयन से संबंधित किसी आवेदन आदि के मामले में जब कभी कोई निदेश न्यायालय/अधिकरण द्वारा दिए जाते

हैं अथवा जब अधिनियम के प्रावधानों को किसी न्यायालय/अधिकरण में चुनौती दी जाती है तो उसकी सूचना इस विभाग को दे दी जाए तथा आगे की कार्रवाई इस विभाग द्वारा दी गई सलाह के आधार पर की जाए। यह अनुरोध है कि इन निदेशों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले सभी संगठनों के ध्यान में भी ला दिया जाए।

(बुद्ध प्रकाश)
निदेशक (ए.टी.)

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।